पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 अगस्त, 2017 ई0 (श्रावण 28, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–33

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	711–728	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	415–421	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	53–54	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा)

अधिसूचना

14 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 669/XXIV(6)–01(42)/2015 T.C.–श्री राज्यपाल महोदय, हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 33, वर्ष 2016) की धारा–1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने की एतद्द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2017 की तारीख नियत करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

29 जून, 2017 ई0

संख्या 955/VII–2–17/41–M.S.M.E./2016–भारत सरकार द्वारा देश में स्टार्ट–अप्स के लिये अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से स्टार्ट–अप इण्डिया पहल की घोषणा की गयी है। स्टार्ट–अप की पहचान मान्यता आदि के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग, औद्योगिक नीति एवं सम्वर्द्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–113, दिनांक 17.02.2016 (प्रति संलग्न) निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में इन्क्यूबेशन ¼Incubation) एवं स्टार्ट–अप क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा दिये जाने तथा राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थानों से निकले छात्रों को एक उद्यमी के रूप में विकसित किये जाने के उद्देश्य से शासन के सम्यक् विचारोपरान्त "उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2017" प्रख्यापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

"उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2017"

1. प्रस्तावना :

उत्तराखण्ड राज्य शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है, जहाँ एक ओर आई0आई0टी0, रूड़की, आई0आई0एम0, काशीपुर, एन0आई0टी0, जी0बी0 पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जैसे संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा विभिन्न औद्योगिक आस्थान जैसे हरिद्वार, पन्तनगर, कोटद्वार, काशीपुर, सेलाकुई, देहरादून व सितारगंज की स्थापना की गई है।

उत्तराखण्ड सरकार की स्टार्ट–अप नीति–2017 का उद्देश्य विभिन्न तकनीकी संस्थानों के छात्रों को एक उद्यमी के रूप में विकसित करने हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है।

2. स्टार्ट–अप की परिभाषा :

पहचान किये गये उद्यमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से किसी संस्था को निम्नानुसार 'स्टार्ट–अप' माना जायेगा :–

(क) उसके निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से 05 वर्ष तक,

(ख) यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका कारोबार (टर्नओवर) 25 करोड़ से अधिक नहीं है, और

(ग) वह अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्य कर रहा है;

पहले से ही अस्तित्व वाले किसी व्यवसाय के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से बनाई गई किसी संस्था को 'स्टार्ट–अप' नहीं माना जाएगा;

उपर्युक्त परिभाषा अनुसार पहचान किये गये किसी स्टार्ट–अप को कर लाभ प्राप्त करने के लिये राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् (एस0एल0ई0आई0सी0)/भारत सरकार से पात्र व्यवसाय का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

स्पष्टीकरण :

1. कोई संस्थान अपने निगमीकरण/पंजीकरण की तिथि से पाँच वर्ष पूरे होने पर अथवा किसी विगत वर्ष में उसका कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक होने पर 'स्टार्ट–अप' के रूप में नहीं माना जाएगा।

2. संस्थान का अर्थ है–कोई निजी क्षेत्र लिमिटेड कम्पनी (कम्पनी अधिनियम, 2013 में यथापरिभाषित) अथवा पंजीकृत साझेदारी फर्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 के खण्ड 59 के तहत पंजीकृत) या लिमिटेड देयता साझेदारी (लिमिटेड देयता साझेदारी अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत)।

3. कारोबार का अर्थ, कम्पनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किए अनुसार है।

4. किसी संस्थान को अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा आधारित नये उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्यरत माना जाता है, यदि उसका लक्ष्य निम्नलिखित को विकसित करना और उनका वाणिज्यीकरण करना है:–

(क) एक नया उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया अथवा,

(ख) महत्वपूर्ण रूप से सुधार किए गए मौजूदा उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया, जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के सृजन या उसके मूल्य संवर्धन में सहायक हो।

मात्र निम्नलिखित को विकसित करने संबंधी कार्य को इस परिभाषा में शामिल नहीं माना जाएगा:–

(क) उत्पाद या सेवाएँ या प्रक्रियाएँ, जिनमें वाणिज्यीकरण की सम्भावना नहीं हो, अथवा

(ख) एक समान उत्पाद या सेवाएँ या प्रक्रियाएँ अथवा

(ग) उत्पाद या सेवा या प्रक्रियाएँ, जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के संबंध में मूल्य संवर्धन नहीं करते या सीमित वृद्धि करते हों।

3. फोकस एरिया (विशिष्ट क्षेत्र) :

स्टार्ट–अप पॉलिसी के अन्तर्गत निम्न क्षेत्रों के उद्यमियों को लाभान्वित किया जायेगा :–

i. कृषि आधारित उद्यम/उद्योग क्षेत्र।
ii. स्वास्थ्य क्षेत्र।
iii. जैव प्रौद्योगिकी (बॉयोटेक्नोलॉजी)।
iv. शिक्षा क्षेत्र।
v. ई–कॉमर्स।
vi. पर्यटन एवं परिवहन (यात्रा)।
vii. ऊर्जा, जल एवं अपशिष्ट प्रबन्धन।
viii. परिवहन/ढुलान।
ix. सामाजिक उद्यम।
x. विनिर्माणक क्षेत्र।
xi. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की जीविकोपार्जन गतिविधियाँ।
xii. नैनोटेक्नोलॉजी।
xiii. खाद्य प्रसंस्करण एवं औद्यानिक गतिविधियाँ।
xiv. वस्त्र एवं परिधान।
xv. फैशन डिजाइनिंग।
xvi. आयुर्वेद।
xvii. पारम्परिक कलायें।
xviii. कृषि क्षेत्र में उच्च तकनीकी प्रयोग गतिविधियाँ।

xix. डेयरी उत्पादन।

xx. पारम्परिक शिल्प।

xxi. पारम्परिक वस्त्र/परिधान के डिजाइन एवं उत्पादों में नवोन्मेष (Innovation)।

xxii. कॉयर/बांस जैसे पारम्परिक क्षेत्रों पर आधारित व्यवसायों में उत्पाद विविधिकरण/नवोन्मेषण।

xxiii. एनिमेशन और गेमिंग।

xxiv. सामाजिक और स्वच्छ तकनीक।

xxv. दृश्यात्मक प्रभाव।

xxvi. मोटर वाहन।

xxvii. पैकेजिंग।

xxviii. कोई भी अन्य ग्रीनटेक प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा उत्पादन।

xxix. कौशल विकास।

xxx. विद्यालयों/संस्थाओं में विज्ञान अध्यापन।

उक्त सूची के अतिरिक्त समय–समय पर अन्य क्षेत्र जो कि राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे, भी योजना के अधीन पात्र होंगे।

4. नीति की समयावधि :

उत्तराखण्ड की स्टार्ट–अप नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 07 वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

5. उद्यमी एवं उद्यमशीलता की परिभाषा :

(i) उद्यमी–उद्यमी, वह व्यक्ति होता है, जो किसी नये उद्यम को शुरू करने की इच्छा रखता है एवं इस कार्य की परिणति के लिये उत्तरदायी होता है।

(ii) उद्यमिता–उद्यमिता, वह प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से नवीन/नवोन्मेषी विचार को वित्त एवं व्यवसायिक निर्णय क्षमता के माध्यम से एक आर्थिक वस्तु में परिवर्तित किया जाता है। यह एक नये संगठन के रूप में अथवा किसी परिपक्व संगठन के विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्ध अवसर के रूप में हो सकती है।

6. राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् (State Entrepreneurship and Innovation Council) :

स्टार्ट–अप प्रस्ताव एवं उद्यमियों का चयन राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् द्वारा किया जायेगा। उक्त परिषद् का स्वरूप निम्नवत् होगा:–

i.	राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त इन्नोवेटर (नवोन्मेषी)/सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ	–	अध्यक्ष
ii.	प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0, उत्तराखण्ड शासन	–	उपाध्यक्ष
iii.	सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन अथवा उनके प्रतिनिधि	–	सदस्य
iv.	निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड	–	सदस्य सचिव
v.	भारतीय प्रबन्धन संस्थान/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/एन0आई0टी0 के प्रतिनिधि	–	सदस्य
vi.	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इण्डिया (एस0टी0पी0आई0)	–	सदस्य
vii.	निजी उद्यमी/ऐंजल निवेशक/वेंचर केपिटलिस्ट के दो प्रतिनिधि, जिनके द्वारा सबसे अधिक स्टार्टअप उद्यमियों को सहयोग प्रदान किया गया हो	–	सदस्य
viii.	कम्पनी लॉ एक्सपर्ट/लीगल एक्सपर्ट, जिनको पेटेन्ट/आई0पी0आर0 में विशेषज्ञता हो	–	सदस्य

ix.	विधि परामर्शी	–	सदस्य
x.	प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल के प्रतिनिधि	–	सदस्य
xi.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि	–	सदस्य
xii.	उद्योग संघ/सी0आई0आई0/पी0एच0डी0 के प्रतिनिधि	–	सदस्य
xiii.	सिडबी के प्रतिनिधि	–	सदस्य
xiv.	विषय की आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ	–	आमंत्रित सदस्य

7. नोडल इन्क्यूबेटर :

प्रतिष्ठित संस्थानों यथा एसटीपीआई/आईआईटी/आईआईएम/एनआईटी में स्थापित इन्क्यूबेटरों को नोडल इन्क्यूबेटर के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

8. इन्क्यूबेटर/प्रौद्योगिक :

इन्क्यूबेटर का तात्पर्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिक व्यापार इन्क्यूबेटर से है।

9. उद्देश्य :

नीति का उद्देश्य निम्न उपलब्धियाँ प्राप्त करना है:–

i. उत्तराखण्ड में इन्क्यूबेशन एवं स्टार्ट–अप क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना।

ii. प्रतिष्ठित उद्यमों को राज्य में ऐंजल निवेशक/वेंचर केपिटलिस्ट के रूप में निवेश हेतु आकर्षित कर नये उद्यमियों के लिये सुदृढ़ वातावरण की उपलब्धता।

iii. नीति के अन्तर्गत राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष कम से कम 2–3 तकनीकी–व्यवसायिक इन्क्यूबेटर/एक्सलेरेटरों की स्थापना।

iv. स्टार्ट–अप के तकनीकी उत्पादों को प्रोत्साहन/सुगमता/बढ़ावा देना।

v. उत्तराखण्ड को देश में उद्यमिता हब के रूप में स्थापित करना।

vi. विभिन्न माध्यमों से 07 वर्षों के भीतर राज्य में कुल 2 लाख वर्गफीट इन्क्यूबेशन क्षेत्र का विकास करना।

vii. न्यूनतम 500 करोड़ तक के पूँजी निवेश की Angel/उद्यम पूँजी निवेशकों के माध्यम से उपलब्धता कराना।

viii. स्टार्ट–अप उद्यमियों को केन्द्र सरकार की अटल इनोवेशन फण्ड (A.I.F.) एवं स्टार्ट–अप इण्डिया योजना के साथ केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं में जोड़ना।

ix. महिला एवं एस0सी0/एस0टी0 वर्ग को उद्यमी के रूप में प्रोत्साहित किया जाना।

x. राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शकों का समावेश करते हुए राज्य स्तरीय उद्यमिता पैनल (SLEP) की स्थापना की जायेगी, जिसके द्वारा सम्भाव्य स्टार्ट–अप उद्यमियों को स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन किया जायेगा। राज्य स्तरीय उद्यमिता पैनल द्वारा स्टार्ट–अप को मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा तथा स्टार्ट–अप को इन्क्यूबेशन व वृद्धि अवस्था तक पहुँचने में सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य स्तरीय उद्यमिता पैनल (SLEP) राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् की आनुषंगी घटक के रूप स्टार्ट–अप उद्यमियों के चिन्हीकरण में सहयोग प्रदान करेगी।

xi. राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के वित्तीय सहयोग से आई0आई0ई0 (एस्कार्ट फार्म), काशीपुर में टी0बी0आई0 की स्थापना।

xii. स्टार्ट–अप को स्टार्ट–अप से इन्क्यूबेशन एवं वृद्धि अवस्था में विकसित किये जाने की सुविधा प्रदान करना।

xiii. स्टार्ट–अप उद्यमियों को सामान्य प्रयोगशाला, समागार, शोध एवं विकास प्रयोगशाला, छात्रावास, आवास इत्यादि की सुविधा प्रदान करना।

xiv. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थानों, जैसे आई0आई0टी0, रूड़की, आई0आई0एम0, काशीपुर, एन0आई0टी0, एस0टी0पी0आई0 परिसर में नोडल इन्क्यूबेटर सेन्टर स्थापित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

xv. एस0टी0पी0आई0 इन्क्यूबेटर का आई0टी0, आई0टी0ई0एस0 एवं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर स्टार्ट–अप के लिये उपयोग किया जायेगा।

10. इन्क्यूबेटरों की स्थापना :

इन्क्यूबेटर की स्थापना निम्न तालिकानुसार होगीः–

आइडिया हब (Idea Hub) (स्थान लगभग 10000 वर्ग फीट, जिसमें कम्प्यूटर की उपलब्धता तथा 2 GBPS में इन्टरनेट कनेक्टिविटी)	सम्भाव्य स्टार्ट–अप एकसाथ बैठकर अपने विचारों का आदान–प्रदान एवं अभिनव विचारों का डिसप्ले बोर्ड के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
	इनमें से सबसे प्रभावशाली विचारों को चुना जायेगा।
टिंकरिंग लैब (Tinkering Lab) (स्थान लगभग 8000 वर्ग फीट, जिसमें टेस्ट लैब, मैन्टर्स/विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे)	आइडिया हब में चुने गये प्रभावशाली विचारों को विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो उनका परीक्षण व्यावसायिक मूल्य तथा बाजार की दृष्टि से करेंगे।
	विशेषज्ञों द्वारा उक्त विचारों पर चर्चा की जायेगी तथा उन विचारों को व्यवहारिक रूप में तैयार किये जाने हेतु बाजार की आवश्यकतानुसार अपेक्षित संशोधन किये जायेंगे।
इन्क्यूबेशन सेन्टर/टी0बी0आई0 (स्थान लगभग 8000–10000 वर्ग फीट, मार्केटिंग विशेषज्ञता एवं वित्तीय सहायता आदि)	टीबीआई को स्थान/सुविधायें यथा शोध एवं विकास लैब, फैब लैब आदि प्रदान की जायेगी, जिससे की शोध व नवप्रवर्तन तीव्र हो सके। इसके साथ–साथ मार्केटिंग, विधि, वित्त व तकनीक आदि के क्षेत्र में भी प्रदान किया जायेगां

11. नीति के सामान्य घटक (Components) :

(i) सरकार द्वारा एक पेशेवर प्रबन्धन स्टार्ट–अप हब स्थापित किया जायेगा। इस स्टार्ट–अप हब में कम्प्यूटर और हाई स्पीड इन्टरनेट, बिजली–पानी और कार्यालयी सुविधाओं के साथ–साथ प्लग एण्ड प्ले की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। यह स्टार्ट–अप हब कार्यात्मक विशेषज्ञों के साथ एक पेशेवर टीम द्वारा स्थापित, प्रबन्धित व संचालित किया जायेगा। यह हब विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के साथ समन्वय करते हुए स्टार्ट–अप उद्यमियों को प्रोटोटाइप, डिजाइन और परीक्षण की सुविधा उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी।

(ii) स्टार्ट–अप हब प्रतिष्ठित वित्त पोषक एजेन्सियों तथा निवेशक नेटवर्कों को कार्यालयी सुविधायें प्रदान करेगा।

(iii) स्टार्ट–अप कार्यक्रम टीयर–1, टीयर–2 व टीयर–3 के क्रम में चलाया जायेगा। टीयर–1 में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, टीयर–2 में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, बिजनेस स्कूल तथा क्षेत्रीय संस्थान एवं टीयर–3 में डिग्री कॉलेज तथा ग्रामीण इलाकों में स्थित संस्थान शामिल होंगे।

(iv) राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट–अप उद्यमियों को उद्योगों के साथ सामन्जस्य हेतु मंच (Platform) उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्र विशिष्ट दिशा–निर्देश का सामन्जस्य करते हुए, केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं का समन्वय किया जायेगा।

(vi) सरकार द्वारा राज्य में स्थापित टी0बी0आई0 (Technology Business Incubators) के आयोजक संस्थाओं को स्टार्ट–अप को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु उचित परितंत्र (Ecosystem) प्रदान किया जायेगा।

(vii) राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट–अप को शोध संस्थानों, सेन्टर, उद्यमियों व अन्य स्टेक होल्डर्स आदि के साथ सम्पर्क हेतु इलेक्ट्रॉनिक मंच (Platform) प्रदान किया जायेगा।

(viii) उच्च शिक्षा के शासकीय संस्थान में नवप्रवर्तन आधारित इन्क्यूबेटर की स्थापना की जायेगी।

(ix) राज्य सरकार द्वारा स्वयं अथवा पीपीपी मोड पर सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) (वेयरहाउस, भण्डारण सुविधा, गुणवत्ता मापन एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला इत्यादि) की सुविधा स्टार्ट–अप उद्यमियों को न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराई जायेगी।

(x) राज्य सरकार उद्यमियों को विनिर्माणक एवं डिजाइन स्टूडियों क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिये उच्च स्तरीय FABLABs की स्थापना करेगी।

(xi) सरकार द्वारा इन्क्यूबेटर केन्द्रों के प्रारम्भिक बैच/समूहों की प्रगति का SLEP के माध्यम से समुचित अनुश्रवण किया जायेगा, जिससे आगामी बैचों के लिये उपयुक्त वातावरण सृजित किया जा सके।

(xii) सरकार द्वारा आई0आई0एम0, काशीपुर एवं आई0आई0टी0, रूड़की के सहयोग से नवीन तकनीकी क्षेत्र में पूर्व प्रशिक्षित मानव संसाधन की व्यवस्था की जायेगी।

(xiii) विद्यालयी पाठ्यक्रम में उद्यमिता का समावेश किया जायेगा।

(xiv) राज्य सरकार द्वारा स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर उद्यमिता प्रोत्साहन के लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। स्टार्ट–अप के समस्त अंशधारियों से अपेक्षित होगा कि वे ग्रामीण नवप्रवर्तनों को भी प्रोत्साहित करने हेतु कार्यशालाओं, जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रचारक गतिविधियाँ चलायेंगे। राज्य सरकार द्वारा ऐसे आयोजनों पर अधिकतम ₹ 20,000 प्रति आयोजन तक का आर्थिक सहयोग दिया जायेगा।

(xv) छात्रों की औद्योगिक सेमिनार, प्रोजेक्ट सेमिनार व औद्योगिक भ्रमण हेतु टी0बी0आई0 (Technology Business Incubator) व औद्योगिक आस्थानों में भ्रमण की अनुमति।

(xvi) स्टार्ट–अप आइडिया पर काम कर रहे छात्र उद्यमियों (किसी भी ग्रेजुएशन वर्ष के) को उनके स्टार्ट–अप प्रोजेक्ट को अन्तिम वर्ष के प्रोजेक्ट में परिवर्तित करने की अनुमति।

(xvii) प्रतिभाशाली स्टार्ट–अप, कॉलेज के छात्रों को देश के श्रेष्ठ स्टार्ट–अप स्थलों के भ्रमण पर भेजा जायेगा।

(xviii) स्टार्ट–अप संस्थानों के आपसी सामन्जस्य के माध्यम से नवाचारी (Innovative) उत्पादों के निर्माण के उद्देश्य से इन्क्यूबेटर में इनोवेशन क्षेत्र स्थापित करने के लिये राज्य के विभिन्न विभागों को नवाचारी क्षेत्र, जिसमें उनकी आवश्यकतायें इन्क्यूबेटर से पूरी हों, प्रोत्साहित किया जायेगा।

(xix) राज्य द्वारा मार्गदर्शन को संस्थागत रूप प्रदान किया जायेगा।

(xx) तकनीकी वाणिज्य मेलों का प्रतिवर्ष दो बार राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् की देख–रेख में आयोजन किया जायेगा जिससे कि स्टार्ट–अप हेतु वातावरण सृजित किया जा सके।

12. स्टार्ट–अप एवं इन्क्यूबेटर को सामान्य वित्तीय सहयोग :

राज्य की एम0एस0एम0ई0 नीति में प्राविधानित समस्त आदान के साथ ही निम्न अतिरिक्त लाभ स्टार्ट–अप, इन्क्यूबेटर के होस्ट संस्थान व एसलरेटर को अनुमन्य होंगे:–

12.1 सी0एस0आर0 (Corporate Social Responsibility) के अधीन राज्य में स्टार्ट–अप वातावरण के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से राज्य के सरकारी उपक्रमों को नये कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर के लिये कार्पस फण्ड का निर्माण अनिवार्य कर दिया जायेगा।

12.2 राज्य सरकार के साथ MOU करने वाले इन्क्यूबेटर परियोजनाओं को स्टार्ट–अप नीति की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् 02 वर्ष की समयावधि तक भूमि एवं भवन के अतिरिक्त किये गये पूँजीगत व्यय पर 20 प्रतिशत की दर से पूँजी उपादान अनुमन्य होगा। इस उपादान की अधिकतम सीमा ₹ 2 करोड़ होगी। राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त उपादान अथवा मौद्रिक सहायता उपर्युक्त के अतिरिक्त होगी।

13. स्टार्ट–अप नीति के घटक :

नीति के अन्तर्गत स्टार्ट–अप/इन्क्यूबेटर/नोडल इन्क्यूबेटर को विशेष प्रोत्साहन/सहायता निम्नवत् प्रदान की जायेगीः–

(क) स्टार्ट अप–

स्टार्ट–अप उद्यमी को तीन चरणों में वर्गीकृत किया जायेगा जो कि निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	विषय वस्तु	आरम्भिक चरण	इन्क्यूबेशन चरण	वृद्धि चरण
1.	परिभाषा	इकाई को अपने उत्पादों को पायलट परियोजना के रूप में राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् के समक्ष प्रस्तुतीकरण करना होगा	एक बार पायलट परियोजना सफल होती है तो राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् द्वारा इकाई को कम्पनियों एवं उत्पादन के लिये स्थानीय उत्पादन विकास करना होगा	जिन इकाईयों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अपने उत्पाद विकसित किये जायेंगे उन्हें राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् के निर्णयानुसार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पाद विकसित किये जाने हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा
2.	समयावधि	पात्रतानुसार नये उद्यमी	प्रारम्भिक चरण के दो वर्ष के अन्दर तथा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इकाईयाँ	इन्क्यूबेशन चरण से 02 वर्ष के भीतर स्केल अप चरण में आने वाली इकाईयाँ
3.	आधारभूत संरचना	1. आइडिया हब निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा	1. सरकार द्वारा स्टार्ट अप को शोध संस्थानों, विशेषज्ञों, उद्यमियों से जुड़े रहने के लिये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जायेगा	1. स्टार्ट अप के लिये सामान्य सुविधा केन्द्रों (गोदाम, भण्डारण सुविधा QA/QC प्रयोगशाला) को न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध कराया जायेगा
		2. सरकार स्टार्ट–अप उद्यमियों को उद्योगों के साथ संवाद हेतु मंच प्रदान करेगी	2. राज्य नवोन्मेष परिषद् द्वारा चयनित शोध एवं विकास कार्यों हेतु ₹ 25,000.00 प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा	2. सरकार राज्य में सफल उद्यमियों को उच्च तकनीक प्रयोगशाला एवं परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी
		3. राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् द्वारा चयनित स्टार्ट–अप को ₹ 10,000.00 प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा	3. अनुसूचित जाति/जनजाति/ महिला स्टार्ट अप को इन्क्यूबेशन सेन्टर की अधिसूचित दरों में 25 प्रतिशत की दर से/₹ 5 प्रति वर्ग फुट की दर तक स्थान उपलब्ध कराया जायेगा	3. अनुसूचित जाति/ जनजाति/ महिला स्टार्ट अप को इन्क्यूबेशन सेन्टर की अधिसूचित दरों में 25 प्रतिशत की दर से/₹ 5 प्रति वर्ग फुट की दर तक स्थान उपलब्ध कराया जायेगा
		4. अनुसूचित जाति/जनजाति/ महिला स्टार्ट–अप को इन्क्यूबेशन सेन्टर की अधिसूचित दरों में 25 प्रतिशत की दर से/ ₹ 5 प्रति वर्ग फुट की दर तक स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।	4. अनुसूचित जाति/जनजाति/ महिला स्टार्ट अप को लीज डीड/स्थान के क्रय पर 100 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क तथा अन्य स्टार्ट–अप को 50 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट के माध्यम से की जायेगी	4. अनुसूचित जाति/ जनजाति/ महिला स्टार्ट अप को लीज डीड/ स्थान के क्रय पर 100 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क तथा अन्य स्टार्ट–अप को 50 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट के माध्यम से की जायेगी
		5. अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला स्टार्ट–अप को लीज डीड/स्थान के क्रय पर 100 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क तथा अन्य स्टार्ट–अप को 50 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट के माध्यम से की जायेगी	5. पेटेन्ट प्रक्रिया पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भारतीय पेटेन्ट की दशा में अधिकतम ₹ 50 हजार तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट ₹ 02 लाख तक की जायेगी, जिसमें 30 प्रतिशत आवेदन चरण पर, 30 प्रतिशत प्रक्रिया चरण पर तथा 40 प्रतिशत प्रमाणन प्राप्त होने पर किया जायेगा।	5. साझा सेवाएँ जैसे कानूनी, एकांउटिंग प्रौद्योगिक, पेटेंट निवेश, बैंकिंग आदि उपलब्ध करायी जायेगी

क्र0 सं0	विषय वस्तु	आरम्भिक चरण	इन्क्यूबेशन चरण	वृद्धि चरण
				6. विशेषज्ञ एवं Mentor का राज्य उद्यमिता पैनल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा 7. सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेज स्टार्ट–अप छात्रों की टीम जो स्केल अप चरण तक जा सकती हो, को 20 प्रतिशत उपस्थिति में छूट दे सकते हैं 8. राज्य सरकार द्वारा विपणन एवं प्रोत्साहन हेतु कुल लागत का 20 प्रतिशत तक अधिकतम ₹ 5 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी 9. पेटेन्ट प्रक्रिया पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भारतीय पेटेन्ट की दशा में अधिकतम ₹ 50 हजार तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट ₹ 02 लाख तक की जायेगी, जिसमें 30 प्रतिशत आवेदन चरण पर, 30 प्रतिशत प्रक्रिया चरण पर तथा 40 प्रतिशत प्रमाणन प्राप्त होने पर किया जायेगा

इसके अतिरिक्त स्टार्ट–अप को निम्न सुविधायें प्राप्त होंगीः–

(ii) स्टार्ट–अप वित्त पोषण :

स्टार्ट–अप कार्यक्रम में चयन के तत्काल बाद प्रत्येक स्टार्ट–अप का सम्भाव्य मूल्यांकन किया जायेगा और वित्त पोषण हेतु इसी मूल्यांकन को न्यूनतम आधार माना जायेगा। राज्य सरकार द्वारा बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा संचालित योजनाओं, जिनके माध्यम से आसान शर्तों पर (कोलेटरल फ्री ऋण, सॉफ्ट लोन) ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं, का विस्तार करते हुए स्टार्ट–अप को ऋण उपलब्ध कराने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। के0एफ0सी0 जैसे संस्थानों को भारत सरकार की योजनाओं के समरूप योजना संचालित किये जाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा और इन संस्थानों को गारण्टी उपलब्ध कराते हुए, गैर निष्पादन परिसम्पत्तियों (NPA) की हानि की प्रतिपूर्ति, सम्पूर्ण लोन के 10 प्रतिशत सीमा तक की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर जो भारत सरकार की "Seed Fund" योजना का प्रबन्धन कर रहे हैं, को अतिरिक्त वित्त उपलब्ध कराते हुए स्टार्ट–अप हेतु उपलब्ध धनराशि को 200 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा और अन्य इन्क्यूबेटरों को भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप Seed Fund उपलब्ध कराया जायेगा। (स्टार्ट–अप मूल्यांकन की रूपरेखा विशेषज्ञों से परामर्श के उपरान्त ऑनलाईन प्रकाशित की जायेगी।)

(iii) राज्य का सहयोगः सामान्य उपादान :

राज्य सरकार द्वारा एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र में प्रदत्त समस्त वित्तीय एवं अन्य उपादान इन्क्यूबेटर, एसलरेटर व स्टार्ट–अप के लिये भी अनुमन्य होंगे। राज्य सरकार द्वारा संचालित एम0एस0एम0ई0

नीति में लागू विभिन्न प्राविधानित प्राविधानों के अनुरूप वर्गीकृत क्षेत्रों के अनुसार स्टार्ट–अप को भी लाभ देय होंगेः–

(अ) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–Z–13025/39/2015–LR Cell, दिनांक 3 जून, 2016 द्वारा स्टार्ट–अप को प्रदत्त कारखाना अधिनियम, श्रम ठेका अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत भुगतान तथा विशिष्ट शिकायतों से उत्पन्न निरीक्षण को छोड़कर अन्य निरीक्षण से मुक्त रखा जायेगा। स्टार्ट–अप को कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान एवं श्रम ठेका अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में स्व–प्रमाण पत्र (Self Certification) दाखिल करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

(ब) चैलेंज ग्रांट द्वारा इनोवेशन (नवाचार)–सरकार चैलेंज हंट के माध्यम से उद्यमियों एवं छात्रों के मध्य नवाचार को प्रोत्साहित करेगी और इनका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु निर्मित नवाचारी उत्पाद को प्रतिवर्ष पुरस्कृत करना होगा।

(iv) वित्तीय वर्ष 2017–18 से पूरे देश में अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था के रूप में जी0एस0टी0 प्रणाली लागू किया जाना प्रस्तावित है। अतः संबंधित फर्म/इकाई को नियमानुसार कर जमा करना होगा तथा प्रदेश के भीतर उपभोक्ता को बिक्री/सेवा की आपूर्ति पर राज्य सरकार द्वारा कर की प्रतिपूर्ति बजट के माध्यम से इस प्रतिबंध के साथ की जायेगी कि उक्त आपूर्ति केवल उपभोक्ता (बी टू सी) को की गयी हो।

(v) निष्पादन :

ऐसे स्टार्ट–अप, जिन्होंने अपने ऑडिट खाते में लगातार वर्ष–दर–वर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की हो, को टर्नओवर के 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹ 10 लाख तक इन्क्यूबेशन के 03 वर्षों तक अनुदान अनुमन्य होगा।

(ख) इन्क्यूबेटर्स–

मात्र वे इन्क्यूबेटर्स जो नीति के नोटिफिकेशन के उपरान्त पैरा संख्या–10 के अवस्थापना संरचना तथा राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् द्वारा अधिसूचित होंगे को निम्न लाभ प्रस्तावित हैः–

(i) राज्य सरकार द्वारा इन्क्यूबेटर फण्ड के नाम से निधि गठित की जायेगी।

(ii) इन्क्यूबेटर्स को अधिकतम 25 प्रतिशत की छूट के साथ/₹ 5 प्रति वर्ग फुट की दर तक स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) इन्क्यूबेटर्स को भूमि क्रय लीज पर स्टॉम्प ड्यूटी में शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(iv) राज्य के समस्त इन्क्यूबेशन सेन्टर राज्य के डॉटा सेन्टर के क्लाउड सर्वर के माध्यम से एकीकृत होंगे।

(v) इन्क्यूबेशन सेन्टर द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय परार्शदाताओं एवं विशेषज्ञों की सेवायें लेने पर वित्तीय सहायता अधिकतम ₹ 01 लाख तक उपलब्ध कराई जायेगी।

(vi) राज्य सरकार के विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार इन्क्यूबेटर में नवप्रवर्तन क्षेत्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे कि स्टार्ट–अप संस्थाओं द्वारा विचार–विमर्श कर अभिनव उत्पाद द्वारा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें।

(vii) अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला स्टार्ट–अप को लीज डीड/स्थान के क्रय पर 100 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क तथा अन्य स्टार्ट–अप को 50 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट के माध्यम से की जायेगी।

(viii) राज्य सरकार द्वारा ऐसे इन्क्यूबेटर, जो भारत सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, को मैचिंग ग्राण्ट 2 : 1 के अनुपात में सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

(ix) सरकारी उपक्रम (लोक क्षेत्र उपक्रम)–सी0एस0आर0 (Corporate Social Responsibility) के अधीन राज्य में स्टार्ट–अप वातावरण के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से राज्य के सरकारी उपक्रमों को नये कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर के लिये कॉपर्स फण्ड का निर्माण अनिवार्य कर दिया जायेगा।

(x) प्रशिक्षण सहायता–इन्क्यूबेटर द्वारा निर्मित प्रति स्टार्ट–अप पर ₹ 10,000 प्रतिवर्ष की दर से इन्क्यूबेशन की तीन वर्ष की अवधि तक अधिकतम 10 स्टार्ट–अप हेतु इन्क्यूबेटर को प्रशिक्षण सहायता प्रदत्त होगी।

(xi) मानव पूँजी विकास कार्यक्रम को सहयोग–नियत नवाचार एवं उद्यमिता के सृजन के लिये इस नीति के अन्तर्गत विशेषज्ञ समिति गठित की जायेगी। यह कार्य मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर के माध्यम से किया जा सकता है, जिसके लिये अनुमोदित कार्यक्रम लागत का 10 प्रतिशत कार्यक्रम निष्पादन एवं अनुश्रवण शुल्क के रूप में राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(ग) नोडल इन्क्यूबेटर–

राज्य सरकार द्वारा नोडल इन्क्यूबेटर को अपने क्षेत्र से बाहर स्थान लेने पर अधिकतम 50 प्रतिशत की छूट के साथ/₹ 8 प्रति वर्ग फुट की दर तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

14. वित्तीय सहायता एवं कार्यक्रम संचालन का प्रशासन/अनुश्रवण :

स्टार्ट–अप एवं इन्क्यूबेटर को नीति की धारा–12 एवं 13 में उल्लिखित समस्त वित्तीय सहयोग हेतु राज्य नवोन्मेष परिषद् (एसआईसी) द्वारा प्रशासित की जायेगी। समस्त सहयोग हेतु समयबद्ध एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

15. इन्क्यूबेटर की भूमिका/उत्तरदायित्व :

राज्य सरकार से सहायता प्राप्त इन्क्यूबेटर की निम्नलिखित भूमिका/उत्तरदायित्व होंगे:–

15.1. इन्क्यूबेटर का संगठनात्मक उत्तरदायित्व एवं प्रबन्धन।

15.2. इन्क्यूबेटर हेतु सहयोगी वातावरण, पूँजीगत सम्पत्ति प्रबन्धन एवं संसाधनों की आवश्यकतानुसार स्थापना

15.3. पीपीपी इन्क्यूबेटर की दशा में निजी भागीदार का उत्तरदायित्व होगा कि इन्क्यूबेटर स्टार्ट–अप की सहायता अवधि (सेवा स्टार्ट–अप की दशा में 03 वर्ष एवं उत्पाद स्टार्ट–अप की दशा में 05 वर्ष) समाप्त होने पर इन्क्यूबेटर हेतु आत्मनिर्भर व्यावसायिक मॉडल का सृजन करे।

15.4. ऐंजल निवेशक/उद्यम पूँजी निवेशकों के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए स्टार्ट–अप इन्क्यूबेटर के लिये वित्तीय सहायता।

15.5. प्रोत्साहन अवधि के समाप्त होने पर राजस्व उत्पत्ति में होने वाली कमी की प्रतिपूर्ति निजी भागीदार द्वारा की जायेगी।

15.6. बदलती जरूरतों को देखते हुए, इन्क्यूबेटर कम्पनियों की प्रतिपूर्ति, पोषण एवं सहायता के लिये निजी भागीदार उत्तरदायी होंगे।

15.7. स्टार्ट–अप एवं इन्क्यूबेटर के लिये कोष बढ़ाने एवं ऐंजल इनवेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिये निजी क्षेत्र की कम्पनियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

15.8. सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कौशल विकास एवं इन्क्यूबेशन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

16. अन्य क्षेत्र विशेष इन्क्यूबेटर :

राज्य में स्टार्ट–अप वातावरण को अधिक व्यापक क्षेत्रों तक विस्तारित करना होगा। राज्य सरकार द्वारा स्वयं अथवा निजी क्षेत्र की सहभागिता से क्षेत्र विशेष हेतु इन्क्यूबेटर की स्थापना की जायेगी और बॉयो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, एग्रो–बिजनेस, व्यवसाय–प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र एवं परिधान, फैशन डिजाइनिंग, आयुर्वेद, पर्यटन, रिटेल, कला इत्यादि क्षेत्र तक विस्तार किया जायेगा। सामूहिक एवं उच्च तकनीकी कृषि, डेयरी उत्पाद, परम्परागत् (शिल्प क्षेत्र में) भौगोलिक प्रतिदर्श आधारित उत्पाद, वस्त्र परिधान क्षेत्र में नवाचारी डिजाईन, उत्पाद संवर्धन/परम्परागत् क्षेत्र जैसे कॉयर/बांस में नवीन उत्पाद एवं डिजाइन आदि विशिष्ट क्षेत्र में तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित किया जायेगा। ये इन्क्यूबेटर सम्बन्धित विभागों द्वारा स्थापित किये जायेंगे और उनके द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के द्वारा ही शासित होंगे।

17. तकनीकी स्टार्ट–अप हेतु "आरम्भिक चरण, इन्क्यूबेशन चरण तथा वृद्धि चरण" मॉडल की स्थापना :

17.1. बी0आई0/टी0बी0आई0 द्वारा भारत सरकार एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर के अभिकरणों जैसे एस0ई0बी0आई0/आर0बी0आई0 आदि के साथ सम्पर्क स्थापित करते हुए इष्टतम नीति निर्माण करते हुए बृहत कोष निर्माण के प्रयास किये जायेंगे।

17.2. सरकार सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के व्यापक विपणन हेतु बाजार निर्माता के रूप में कार्य करेगी। प्रदेश आधारित सॉफ्टवेयर उत्पादों एवं एम0एस0एम0ई0 उत्पादों के लिये एक नवान्मेषी स्टार्ट अप–बूट अप–स्केल अप मॉडल अपनाया जायेगा। स्टार्ट–अप एवं एम0एस0एम0ई0 (उत्तराखण्ड राज्य के) द्वारा प्रस्तावित सॉफ्टवेयर उत्पाद एवं परियोजनाओं में विक्रेता चयन हेतु "स्विस चैलेंज प्रक्रिया" अपनाई जायेगी। स्टार्ट–अप को सरकारी खरीद में अनुभव और टर्नओवर में छूट दी जायेगी।

17.3. स्टार्ट–अप अवस्था में नवाचारी उत्पाद कम्पनियों को उनके उत्पाद को प्रायोगिक परियोजना के तौर पर निरूपित करने के लिये प्रस्ताव के समयबद्ध अनुमोदन के लिए 04 माह का समय दिया जायेगा। इन्क्यूबेशन अवस्था में एक बार प्रयोग सफल होने पर सरकार सॉफ्टवेयर एवं विनिर्माणक (हार्डवेयर) कम्पनियों को स्थानीय–उत्पाद–विकास विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करेगी। वृद्धि अवस्था में ऐसी कम्पनियाँ, जिनके द्वारा उत्तराखण्ड में अपने उत्पाद प्रसारित कर दिये गये हों, को "उत्तराखण्ड राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद्" द्वारा निर्णित प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे। राज्य की एम0एस0एम0ई0 एवं स्टार्ट–अप को विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के निष्पादन के लिये सरकारी डाटाबेस, व्यवस्था एवं प्रक्रिया (उपयुक्त सुरक्षा उपबन्धों सहित) तक पहुँच हेतु प्राविधान राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् एवं राज्य सरकार के अनुमोदन से किये जायेंगे और इस प्रकार डाटाबेस, व्यवस्था एवं प्रक्रिया हेतु प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 04 सप्ताह में कर लिया जायेगा।

17.4. जनोपयोगी सेवा एवं ई–गवर्नेंस हेतु आवेदन विकसित करने के लिए स्टार्ट–अप के चयन एवं स्टार्ट–अप को प्रोत्साहित करने के लिये मुक्त नवोन्मेषी प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

17.5. स्टार्ट–अप रोल–मॉडल कार्यक्रम–इन्क्यूबेटर में से राज्य के श्रेष्ठ 50 स्टार्ट–अप को चयन प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित करते हुए, उन्हें मार्गदर्शक (परामर्शदाता), उपलब्धता/सहयोग वित्तीय सहयोग, उत्पाद विकास, विपणन एवं लॉन्च सहयोग हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हुए, सफल स्टार्ट–अप की संख्या में वृद्धि की जायेगी, जिससे अधिकाधिक रोल मॉडल विकसित किया जा सके। यह कार्यक्रम वार्षिक प्रवृत्ति का होगा और इस नीति की समयावधि अधिसूचना की तिथि से 07 वर्ष अथवा नई नीति निरूपित होने तक होगी। नीति का क्रियान्वयन "राज्य उद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद्" के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र संख्या 179/XXVII(2)/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

कार्यालय ज्ञाप

04 अगस्त, 2017 ई0

संख्या 1312/VII–2–17/02–एम0एस0एम0ई0/2015–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन में प्रस्तावित ग्रामीण हाट के निर्माण हेतु नाबार्ड की आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत कार्य संचालन हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में BRIDCUL {BRIDGE ROPEWAY TUNNEL AND OTHER INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION OF UTTARAKHAND LIMITED} को नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

31 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 1357/II(1)–2017–01(90)/2003–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संगणक से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन वर्ष 2016–17 के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक 170/34/ई–1/डी0पी0सी0/2016–17, दिनांक 31.07.2017 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित संगणकों को सहायक अभियन्ता (सिविल), वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 (सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल 10, ₹ 56,100–1,77,500) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री लक्ष्मण सिंह नेगी,
2. श्री महेश चन्द्र उप्रेती,
3. श्री गिरीश चन्द्र जोशी।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि, जो भी पहले हो, की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

28 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 444 / XX(1)–2017–3(2)2004–प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में चयन वर्ष 2015–16 के लिए पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ, वेतनमान (₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400) से पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ, वेतनमान (₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600) में पदोन्नति हेतु दिनांक 19.06.2016 को सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठक में निर्णयोपरान्त चयन समिति की संस्तुति के क्रम में श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डे, पुलिस उपाधीक्षक को चयन वर्ष 2015–16 के लिए दिनांक 28.10.2015 को सम्पन्न हुई चयन समिति की अनुशंसा के क्रम में पदोन्नत किये गये अधिकारियों की पदोन्नति की तिथि दिनांक 30.11.2015 से पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ, वेतनमान (₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400) से पुलिस उपाधीक्षक, ज्येष्ठ, वेतनमान (₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने तथा इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से वास्तविक लाभ सहित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डे को उक्त पदोन्नति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डे के विरुद्ध जनपद ऊधमसिंह नगर के थाना सितारगंज में पंजीकृत वाद में मा0 न्यायालय के स्तर से कोई प्रतिकूल निर्णय आने की दशा में उन्हें पदावनत कर दिया जायेगा तथा पदोन्नति के सापेक्ष इन दिये गये वित्तीय लाभ (नोशनल / वास्तविक) की वसूली भी श्री पाण्डे से कर ली जायेगी।

आज्ञा से,

विनोद शर्मा,
सचिव।

गृह अनुभाग–8

अधिसूचना

31 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 846 / XX(8)2017–10(07)2015–श्री राज्यपाल महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1974) की धारा 2 की उपधारा (ध) एवं इस सम्बन्ध में प्रदत्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनपद अल्मोड़ा की थाना / तहसील, चौखुटिया के स्थान मासी एवं खीड़ा में एक–एक नियमित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी गठित करते हुए, अधिसूचित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि पुलिस चौकी मासी एवं खीड़ा के नियमित रूप से अधिसूचित होने के फलस्वरूप संलग्न परिशिष्ट–1 एवं परिशिष्ट–2 में उल्लिखित क्रमशः 24 एवं 21 राजस्व ग्राम उक्त नियमित रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों के क्षेत्रान्तर्गत सम्मिलित होंगे तथा राजस्व पुलिस की क्षेत्राधिकारिता से बाहर निकाल दिये जायेंगे।

परिशिष्ट–1

जनपद अल्मोड़ा के कस्बा मासी के नियमित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाले 24 गाँवों की सूचीः–

अधिसूचना संख्या 846/XX(8)2017–10(07)2015, दिनांक जुलाई, 2017

क्र0 सं0	गाँव का नाम	राजस्व क्षेत्र का नाम
01.	मासी	मासी
02.	आदिग्राम फुलेरिया	आदिगाँव
03.	आदिग्राम कनौणिया	आदिगाँव
04.	कोटयूडा मासी	आदिगाँव
05.	छानी	आदिगाँव
06.	डांग	फड़ीका
07.	बोहरागाँव	फड़ीका
08.	चिनौनी	फड़ीका
09.	भैल्टगाँव	फड़ीका
10.	पटलगाँव	भगोती
11.	भगोती	भगोती
12.	जेठुवा	दीपाकोट
13.	झुडंगा	दीपाकोट
14.	खनुली	दीपाकोट
15.	कनरै	मासी
16.	नौगाँव	मासी
17.	कबडोली	मासी
18.	ऊँचा वाहन	कन्होड़ी
19.	थापला	कन्होड़ी
20.	चौना	कन्होड़ी
21.	कनौणी	कन्होड़ी
22.	गोगता	कन्होड़ी
23.	मोहणा	कन्होड़ी
24.	सीमा	कन्होड़ी

परिशिष्ट–2

जनपद अल्मोड़ा के प्रस्तावित नियमित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी खीड़ा के अन्तर्गत आने वाले राजस्व 21 ग्रामों की सूचीः–

अधिसूचना संख्या 846/XX(8)2017–10(07)2015, दिनांक जुलाई, 2017

क्र0 सं0	गाँव का नाम	राजस्व क्षेत्र का नाम
01.	मालूधार	पुनियाबगड
02.	चुलेरासीम	पुनियाबगड
03.	खीड़ा	पुनियाबगड
04.	पालंगबाड़ी	पुनियाबगड
05.	खीड़ाचक मछियाकोट	पुनियाबगड
06.	पुनियाबगड़	पुनियाबगड
07.	छिताड़	पुनियाबगड

क्र0 सं0	गाँव का नाम	राजस्व क्षेत्र का नाम
08.	जमराड़	पुनियाबगड
09.	खजुराडी	पुनियाबगड
10.	चनौला परवाखरक	पुनियाबगड
11.	असेटी	ढनाण
12.	बगड़ी	ढनाण
13.	अमस्यारी	ढनाण
14.	टेड़ागाँव	ढनाण
15.	कोटयूडा	ढनाण
16.	कोटयूडाचक रामपुर	ढनाण
17.	नौगाँव वेरिया	ढनाण
18.	पैली	ढनाण
19.	तड़ागताल	ढनाण
20.	ढनाण	ढनाण
21.	वसरखेत	ढनाण

आज्ञा से,

विनोद शर्मा,
सचिव।

नियोजन अनुभाग–1

अधिसूचना

14 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 234/XXVI/2017–एक RTI(2)/2009–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 एवं धारा 19 में क्रमशः लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों के सम्बन्ध में प्राविधान किया गया है। इन व्यवस्थाओं के अधीन पूर्व में निर्गत नियोजन विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 72/XXVI/एक RTI(1)/2009, दिनांक 15.03.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए नियोजन विभाग के अन्तर्गत शासन स्तर पर निम्नलिखित लोक प्राधिकारी इकाई के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन में विभागीय अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	लोक सूचना अधिकारियों का विवरण	पदनाम	विभाग का नाम/कार्यालय का पता
1.	सहायक लोक सूचना अधिकारी	अनुभाग अधिकारी	नियोजन अनुभाग–1 एवं 2
2.	लोक सूचना अधिकारी	अनु सचिव	नियोजन अनुभाग–1 एवं 2
3.	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी	उप सचिव	नियोजन अनुभाग–1 एवं 2

2. उपरोक्त नामित किये गये लोक सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा इस कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन, भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

3. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 72/XXVI/एक RTI(1)/2009, दिनांक 15.03.2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,

भूपाल सिंह मनराल,
अपर सचिव।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–3

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

27 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 503 / xxxii / 2017 / 37(02) / 2016–तात्कालिक प्रभाव से श्री गिरीश चन्द्र पन्त, व्यवस्थाधिकारी को नियमित चयनोपरान्त, वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी के पद, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 (पुनरीक्षित वेतन 07 वें वेतनमान की लेबल मैट्रिक्स के अनुसार) पर पदोन्नत करते हुए, उनकी वर्तमान तैनाती राज्य अतिथि गृह काठगोदाम में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री गिरीश चन्द्र पन्त, वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति राज्य सम्पत्ति, अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

विनय शंकर पाण्डेय,
अपर सचिव / राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

17 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 1930 / X–1–2017–14(09) / 2014–श्री सी0 भास्कर (भारतीय वन सेवा), प्रमुख वन संरक्षक, आजीविका एवं एन0टी0एफ0पी0, उत्तराखण्ड, देहरादून, जिनकी जन्मतिथि 09.01.1958 (नौ जनवरी, उन्नीस सौ अठ्ठावन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.01.2018 के अपरान्ह को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आर0 के0 तोमर,
संयुक्त सचिव।

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

26 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 281 / XVIII (3) / 2017–3(1)II / 2017–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे अधिसूचना संख्या 1514 / 18(2) / 2008–5(24) / 2008, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियायें इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी :

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
देहरादून	डोईवाला	परवादून	माजरी ग्रांट (खसरा नं0 1200)

आज्ञा से,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 281/XVIII(3)/2017-3(1)II/2017**, dated July 26, 2017 for general information.

NOTIFICATION

July 26, 2017

No. 281/XVIII(3)/2017-3(1)II/2017-- In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation *vide* Govt. Notification No. 1514/18(2)/2008-05(24)/2008, dated December 30, 2008 shall be closed with effect from the date of publication of the notification in the official gazette.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Dehradun	Doiwala	parwadoon	Majri Grant (Khasra No. 1200)

By Order,

HARBANS SINGH CHUGH,
Secretary In-charge.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 हिन्दी गजट/449–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 अगस्त, 2017 ई0 (श्रावण 28, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 12, 2017

No. 148/UHC/VIII-a-1/Stationery--The Registry of the High Court will remain open for half day instead of full day during summer Vacation (i.e. from 22nd to 26th May, 2017).

By Order of Hon'ble the Court,

Sd/-

NARENDRA DUTT,

Registrar General.

NOTIFICATION

July 18, 2017

No. 185/UHC/XIV/66/Admin.A/2003--Sri Shrikant Pandey, Judge, Family Court, Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 27.06.2017 to 07.07.2017 with permission to prefix 25.06.2017, 26.06.2017 as holidays and suffix 08.07.2017 & 09.07.2017 as holidays for the purpose of home town L.T.C.

NOTIFICATION

July 24, 2017

No. 186/UHC/XIV-a/41/Admin.A/2012--Ms. Shweta Rana Chauhan, Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 10.07.2017 to 19.07.2017 with permission to prefix 08.07.2017 and 09.07.2017 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

August 02, 2017

No. 189/UHC/XIV/40/Admin.A--Smt. Meena Tiwari, District & Sessions Judge, Tehri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 14 days *w.e.f.* 05.07.2017 to 18.07.2017.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

August 03, 2017

No. 191/UHC/Admin.A/2017--Sri Dinesh Prasad Gairola, District & Sessions Judge, Hardwar is transferred and posted as District & Sessions Judge, Uttarkashi, *vice* Sri G. S. Dharamshaktu.

NOTIFICATION

August 03, 2017

No. 192/UHC/Admin.A/2017--Sri Rajendra Singh, Presiding Officer, Labour Court, Hardwar is transferred and posted as District & Sessions Judge, Hardwar, *vice* Sri Dinesh Prasad Gairola.

Note:--Recommendations have been sent to the State Government for the posting of following officers on deputation posts mentioned against their names :

1. Sri G. S. Dharamshaktu (*District & Sessions Judge, Uttarkashi*)--As Presiding Officer, Labour Court, Hardwar, *vice* Sri Rajendra Singh.
2. Smt. Anjushree Juyal (*Registrar, State Consumer Disputes Redressal Commission, Uttarakhand, Dehradun*)--Additional charge of Registrar, Public Service Tribunal, Uttarakhand, Dehradun, vice Sri C. P. Bijalwan, in addition to her present duties.

Above transfers will come into effect after the receipt of respective notifications from the State Government.

By Order of the Court,
Sd/-
NARENDRA DUTT,
Registrar General.

कार्यालय–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

27 जुलाई, 2017 ई0

पत्रांक 2110/राज्य कर उत्तरा0/फार्म–अनु0/2017–18/केन्द्रीय फार्म–सी/एफ/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम–8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित फार्म "एफ/सी", जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए, इन फार्म्स के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम, पता व टिन नं0	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक	फार्म को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	संयुक्त आयुक्त (कार्य0) राज्य कर, रूद्रपुर सम्भाग, रूद्रपुर	(Form-F)–01	U.K.VAT-F-2009 0150000	मिसिंग
2.	सर्वश्री मैकिनो ऑटोमोटिव, सी–9, डी–1,2 बी0एच0ई0एल0 एण्ड0 एरिया, बहादराबाद, हरिद्वार, टिन–05007110319	(Form-C)–06	U.K.VAT-C-2012 0309934 to 0309939	खोने के कारण

श्रीधर बाबू अद्दांकी,
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

July 27, 2017

No. 2110/State Tax/Form/Lost/Stolen/Destroyed/2017-18/D.Dun-- WHEREAS, information have been received regarding Lost/Stolen/Destroyed "Form-F/C" enlisted below.

I, Commissioner, tax, Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8(13) of Central Sales Tax (Uttarakhand) Rules, 2006, hereby declare that "form-F/C" bearing serial no. as listed below, should be considered as invalid for all purposes.

Sl. No.	Name, Address and Tin No. of Dealers	No. of Lost/Stolen/ Destroyed Forms	Sl. No. of Lost/ Stolen or Destroyed Forms	Reasons for declaring the forms obsolete or invalid
1.	Joint Commissioner (Executive) State Tax, Rudrapur	(Form-F)—01	U.K.VAT-F-2009 0150000	Missing
2.	Ms Makino Automotive, C-9, D-1,2, BHEL, Ind. Area, Bahadrabad, Haridwar, Tin—05007110319	(Form-C)—06	U.K.VAT-C-2012 0309934 to 0309939	Lost

SRIDHARBABU ADDANKI,
Commissioner State Tax,
Uttarakhand.

कार्यालय संचालक चकबंदी, उत्तराखण्ड, देहरादून

विज्ञप्ति

26 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 2266/रा0प0–चक0सं0/धारा–52/2016–उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या 329/XVIII(III)/2017–07(01)/2010, दिनाँक 17 जुलाई, 2017 से प्राप्त शासन की अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुरेन्द्र नारायण पाण्डे, संचालक, चकबंदी, उत्तराखण्ड, देहरादून, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से जनपद ऊधमसिंह नगर की तहसील जसपुर, परगना जसपुर के ग्राम गढ़ी नेगी में चकबंदी क्रियायें समाप्त हो गयी है।

सुरेन्द्र नारायण पाण्डे,
संचालक, चकबंदी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

11 जुलाई, 2016 ई0

संख्या 389/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2016–चारधाम 2017 के दृष्टिगत यात्रा मार्गों पर तैनात प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा ओवरलोडिंग व अन्य विभिन्न अभियोगों में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ:–

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या	चालान तिथि	निलम्बन अवधि	चालानकर्ता अधिकारी
1.	केदार दत्त पुत्र श्री घनानन्द, ग्राम शिवनन्दी धोलतीर, जिला रूद्रप्रयाग	UK-1320010005138	09.05.2017	11.07.2017 से 10.10.2017	ARTO, TEHRI
2.	गिरीश लाल पुत्र श्री रूपशा लाल, ग्राम फलई, पो0 अगस्तमुनी, रूद्रप्रयाग	UK-1320090002143	29.05.2017	11.07.2017 से 10.10.2017	ARTO, TEHRI
3.	अमित सिंह पुत्र श्री वीर सिंह, ग्राम ढौण्डा, तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग	UK-1320160009983	02.05.2017	11.07.2017 से 10.08.2017	ARTO, PAURI
4.	भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, ग्राम गडी, पो0 विधापीठ, रूद्रप्रयाग	UK-1320140006614	02.05.2017	11.07.2017 से 10.08.2017	ARTO, PAURI
5.	सुरेश कुमार पुत्र श्री प्रेम लाल, ग्राम चौरा, तहसील जखोली, रूद्रप्रयाग	UK-1320160010468	02.05.2017	11.07.2017 से 10.10.2017	ARTO, PAURI

पंकज श्रीवास्तव,
प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, रूड़की

आदेश

26 अप्रैल, 2017 ई0

पत्रांक 69/पंजीयन निरस्त/2017–वाहन सं0 यूके08सीए–5674, भार वाहन, मॉडल 1998, चेसिस संख्या 396005LTQ208146, इंजन नं0 69L62103287, इस कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त वाहन श्री मौ0 शाहनवाज पुत्र श्री मौ0 सुलेमान, निवासी पाडली गुज्जर, तेलीवाला, रूड़की, हरिद्वार के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 03.03.2017 को वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु आवेदन किया है। उक्त वाहन संविद मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। श्री सईद अहमद, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सहा0 सम्भागीय निरीक्षक, रूड़की, कार्यालय की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, शैलेश तिवारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूड़की, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 03.03.2017 को वाहन संख्या यूके08सीए–5674, भार वाहन, मॉडल 1998, चेसिस संख्या 396005LTQ208146 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

शैलेश तिवारी,
सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूड़की।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

14 जुलाई, 2017 ई0

पत्रांक 3973/टी0आर0/पंजी0नि0/HR46-6261/2017—वाहन संख्या HR46-6261 (TRUCK), मॉडल 1995, चेसिस संख्या 360044KUQ009235 तथा इंजन नं0 697D24JVQ138906, कार्यालय में श्री परवेश अग्रवाल पुत्र श्री फूल चन्द अग्रवाल, निवासी इलाहाबाद बैंक गली, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 10.07.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.07.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR46-6261 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360044KUQ009235 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

14 जुलाई, 2017 ई0
28 जुलाई, 2017 ई0

पत्रांक 3974/टी0आर0/पंजी0नि0/PB05N-9109/2017—वाहन संख्या PB05N-9109 (TRUCK), मॉडल 1999, चेसिस संख्या 380010HQQ714027 तथा इंजन नं0 697D22HQQ756105, कार्यालय में श्री गुरजीन्दर सिंह पुत्र श्री महेन्दर सिंह, निवासी ग्राम मखवारा, म0नं0 27, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 10.07.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.07.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या PB05N-9109 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 380010HQQ714027 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

28 जुलाई, 2017 ई0

पत्रांक 4075/टी0आर0/पंजी0नि0/UA06B-0525/2017—वाहन संख्या UA06B-0525 (TRUCK), मॉडल 2003, चेसिस संख्या TIWELYGM0069477 तथा इंजन नं0 SLC1V62587, कार्यालय में श्री सत्यपाल पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी म0 नं0 25, बानूसी झनकट, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 18.07.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.09.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA06B-0525 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या TIWELYGM0069477 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

29 जुलाई, 2017 ई0

31 जुलाई, 2017 ई0

पत्रांक 4091/टी0आर0/पंजी0नि0/UA05-2822/2017–वाहन संख्या UA05-2822 (TRUCK), मॉडल 2003, चेसिस संख्या 19EC31097727 तथा इंजन नं0 E483A31094053, कार्यालय में श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री प्रेम बल्लभ शाह, निवासी म0 नं0 447, विजय नगर, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 22.07.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.09.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA05-2822 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 19EC31097727 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

31 जुलाई, 2017 ई0

पत्रांक 4093/टी0आर0/पंजी0नि0/HR38G-0058/2017–वाहन संख्या HR38G-0058 (TRUCK), मॉडल 1998, चेसिस संख्या 373011ERQ704383 तथा इंजन नं0 697D22ERQ729188, कार्यालय में श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री कैलाश चौधरी, निवासी ग्राम नौगवा, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 04.07.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.07.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR38G-0058 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011ERQ704383 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

31 जुलाई, 2017 ई0

पत्रांक 4096/टी0आर0/पंजी0नि0/HR38F-4157/2017–वाहन संख्या HR38F-4157 (TRUCK), मॉडल 2000, चेसिस संख्या 388002KZZ718196 तथा इंजन नं0 00H62162240, कार्यालय में श्री हाकम अली पुत्र श्री अलीयार खान, निवासी म0 नं0 206, फिरोजपुर, अली नगर, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 29.07.2017 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने

हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.07.2017 तक जमा है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR38F-4157 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 388002KZZ718196 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 हिन्दी गजट/449–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 अगस्त, 2017 ई0 (श्रावण 28, 1939 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत

अधिसूचना की सूचना

19 जुलाई, 2017 ई0

पंत्राक 61/त्रि0प0/उप निर्वा0/2017 (उप प्रधान)–राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना सं0 277/रा0नि0आ0–2/2188/2017, दिनांक 18 जुलाई, 2017 के क्रम में, मैं, डा0 अहमद इकबाल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), चम्पावत, यह निर्देश देता हूँ कि जनपद के विभिन्न कारणों से उप प्रधान के रिक्त पदों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो, उप निर्वाचन सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर निम्नलिखित सारणी में निर्धारित तिथि एवं समयानुसार कराये जायेंगे:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
26.07.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)	26.07.2017 (पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)	26.07.2017 (दोपहर 12:00 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक)	26.07.2017 (अपराह्न 12:30 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक)	26.07.2017 (अपराह्न 13:30 बजे से अपराह्न 15:30 बजे तक)	26.07.2017 (अपराह्न 16:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जाँच, नाम वापसी, निर्वाचन चिन्ह (प्रतीक) आवंटन, मतदान एवं मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी।

जनपद के विकास खण्डवार उप प्रधान के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्ति का कारण
1	2	3	4
1.	बाराकोट	चमरौली	मृत्यु के कारण
2.	पाटी	गहतोडा	मृत्यु के कारण

डा0 अहमद इकबाल,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
जनपद चम्पावत।

निदेशालय पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून

अधिसूचना

29 जुलाई, 2017 ई0

संख्या 900/3–पं0/ग्रा0पं0/68/2017–18–शहरी विकास अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1094/IV(3)/2016–03(घो0)/2009, दिनांक 12 जुलाई, 2016 के द्वारा जनपद चमोली के नगर पंचायत, पोखरी से राजस्व ग्राम वल्ली को पृथक करने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 3 एवं 4 के अधीन तथा पंचायतीराज अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 913/XII/2017–86(20)/2017, दिनांक 09.06.2017 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, हरि चन्द्र सेमवाल, निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड राजस्व, ग्राम वल्ली को एतद्द्वारा निम्नसारिणी के स्तम्भ 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट नाम से ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत घोषित करता हूँ। यह अधिसूचना जिलाधिकारी, चमोली के प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर जारी की जा रही है।

क्षेत्र पंचायत का नाम–पोखरी		जनपद का नाम–चमोली	
गजट क्रमांक	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम सभा का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
73	वल्ली	वल्ली	वल्ली

हरि चन्द्र सेमवाल,
निदेशक।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 हिन्दी गजट/449–भाग 3–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।